फर्द अहकाम
(नियम 26).
अंज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

सुनिता वगै० बनाम राजेश कुमार वगै०

किस्म मुकदमा धारा   प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.   मुकदमा न० 82 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2020	आज यह प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावे। प्रार्थीया को सुना गया। प्रार्थना पत्र के विचारणीय बिन्दुओं पर प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनने से प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख.नं. 12, 13, 196, 07, 85, 277, 278, 275, 276 वाके मौजा ग्राम उरीका में प्रार्थीया 1 एवं 2 के हिस्से तक की भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाये रखें। आदेश 39 रूल 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित हो। मिसल आयन्दा वास्ते तलबी अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 04.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	
4-9-20	पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। मूल दावा के शामिल रहे। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:53:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner